



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा



Office of the Executive Engineer, PWD, Almora Uttarakhand

E-mail : eepdalmora@rediff.com

पत्राक 1385/7 सी०  
सेवा में,

दिनांक 3 जुलाई 2024

प्रभागीय वनाधिकारी,  
नैनीताल वन प्रभाग,  
नैनीताल।

**विषय:** जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत जागर से भोंगादेवली लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.378 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में। (प्रस्ताव सं० एफ०पी०/यू०के०/रोड/11625/2015)

**संदर्भ:** भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं० 08बी०/यू०सी०पी०/09/156/2016/एफ०सी०/1378 दिनांक 29.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में इंगित कमियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत है:-

| S.N | Objection  | Reply  |
|-----|--|--|
| 1   | It is seen that the State Government has submitted the reply to this office EDS dated 26.07.2016 after a period of 4 years vide letter refereed above. State Govt may submitted reason of delay in submitting the reply. | भारत सरकार द्वारा प्राप्त आपत्ति दिनांक 26.07.2016 जो इस कार्यालय को दिनांक 31.08.2016 को प्राप्त हुयी, का निराकरण कर दिनांक 25.10.2016 को प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल को प्रेषित कर लिया गया था। प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल से पुनः दिनांक 18.01.2017 को प्रकरण पुनः आपत्तियों में प्राप्त हुआ। आपत्तियों के निराकरण हेतु कतिपय छूट गये ग्रामों से वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत ग्राम स्तरीय अनापत्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। किन्तु कतिपय ग्रामवासियों द्वारा मोटर मार्ग हेतु भूमि दिये जाने में विवाद किया गया। विभाग द्वारा विवाद सुलझाने के प्रयास किये जाने के उपरान्त दिनांक 25.02.2019 को अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये गये। अन्य स्तरों से भी सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात संकलित सूचना तैयार कर दिनांक 10.08.2020 को आपत्तियों का निराकरण किया जा सका। तदुपरान्त भारत सरकार के पत्र सं० 08 बी०/यू०सी०पी०/09/156/2016 /एफ०सी०/1378 दिनांक 29.09.2020 से 6 बिन्दुओं पर सूचनायें उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। उक्त आपत्तियों के निराकरण हेतु डिजिटल मानचित्र तैयार करवाकर इस कार्यालय के पत्र सं० 937/7सी० दिनांक 12 अप्रैल 2022 से हस्ताक्षर हेतु वन |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | क्षेत्राधिकारी नथुवाखान को प्रेषित किये गये थे। प्रपत्र प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल के हस्ताक्षरोपरान्त दिनांक 03.05.2024 से इस कार्यालय को प्राप्त हुये हैं वर्तमान में समस्त आपत्तियों का निराकरण कर प्रकरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। |
| 2 | Digital map submitted is not countersigned by DFO, State Government may submit/ upload the digital map duly countersigned by DFO.   | डिजिटल मानचित्र प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल से प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त ऑनलाईन पार्ट I के सैक्शन सी0 में अपलोड कर लिये गये हैं एवं हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित है।  |
| 3 | As per NPV sheet rate is charged for dense forest in open forest area, which may be corrected.  | यह बिन्दु वन विभाग से संबंधित है।   |
| 4 | Tree enumeration list of 23 trees has been uploaded but entry of 21 trees has been made at para 4 in Part II. State Govt. may clarify this discrepancy and submit/ upload correct information in this regard. | उक्त परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में 23 वृक्ष एवं नाप भूमि में कुल 364 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।   |
| 5 | State Government may check the feasibility of the transplantation of the tree falling in 0- 10 cm and 10- 20 cm dia class as mentioned by CF in his SIR.  | यह बिन्दु वन विभाग से संबंधित है।   |
| 6 | The state government should also upload the status of the village to be benefited and the available road network on the KML file mentioned in online paragraph C (ii) (b), Part I.                            | के0एम0एल0 फाईल पार्ट I के सैक्शन सी0 में अपलोड कर ली गयी है।  |

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

पत्रांक/ 15 857 सी0

तददिनांकित

भवदीय  
अधिसासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि— सहायक अभियन्ता(षष्ट्म), प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिसासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।